महत्वपूर्ण
संख्या- 304/2021/ 304/नौ-9-2021-21ज/21

प्रेषक,

डॉ० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

1 **समस्त मण्डलायुक्त**, उ0प्र0
2. **समस्त जिलाधिकारी**, उ०प्र० ।
3. **समस्त नगर आयुक्त**, नगर निगम, उ0प्र0
4 **समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी छावनी परिषद**, उ०प्र० ।
5. **समस्त अधिशासी अधिकारी**, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ०प्र०

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ, दिनांक 24 मार्च, 2021**

विषय:- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगरीय स्थानीय निकायों को अवमुक्त अनुदान का उपभोग किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि का उपयोग Department of Expenditure (Finance Commission Division), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15 (2) FCXV/FCD/2020-25 दिनांक 01.06.2020 द्वारा निर्गत ऑपरेशनल गाइडलाइन के प्राविधानों एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MoEF&CC) द्वारा समय-समय पर की गयी संस्तुतियो / 15वें वित्त आयोग के Annexure-5.5 द्वारा निर्धारित मापदण्डों तथा इसी क्रम में संयुक्त सचिव भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के
अर्द्धशासकीय पत्र संख्या - N 11025-01/2018 AMRUT IIB दिनाक 04 अगस्त, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमन्य है।

2 15वें वित्त आयोग की संस्तुति में नगरीय निकायों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के विषयगत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये (Million Plus Cities) एक पृथक श्रेणी बनायी गयी है और अन्य निकायों को Non Million Plus Cities के रूप में अनुदान अवमुक्त किये जाने विषयक संस्तुति की गयी है।

3. Million Plus Cities (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों) के सम्बनध में मुख्य बिन्दु- उपरोक्त श्रेणी में राज्य के लखनऊ, कानपुर वाराणसी प्रयागराज आगरा, गाजियाबाद एवं मेरठ- नगर निगम आते है। उक्त 07 निकायों में परिवेशी वायु गुणवत्ता जल संरक्षण, आपूर्ति एवं प्रबन्धन में सुधार तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति के अनुक्रम में धनराशि । अयमुक्त होगी।

3. (1) परिवेशी वायु गुणवत्ता (Ambient Air Quality) में सुधार हेतु

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFSCC) द्वारा दिये गये। दिशा-निर्देशों के क्रम में निकायवार (City Wise) एवं वर्षवार (Year Wise) Annual average concentration of PM 10 और PM2.5 पर आधारित परिवेशी वायु गुणवत्ता (Ambient Air Quality) में सुधार किये जाने के लक्ष्यों का निर्धारण वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक किया जायेगा। इस मंद में द्वितीय किश्त वर्ष प्रतिवर्ष वायु गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में निर्धारित Performance based outcomes के आधार पर अवमुक्त किया जायेगा। अवगुणा धनराशि को वायु गुणवत्ता सुधार (Air Quality Improvement) के साथ-साथ हेतु अपेक्षित क्षमता निर्माण (Capacity Building) हेतु व्यय किया जा सगा इस कार्य के लिये नगर निगमों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) स अपेक्षित परामर्श प्राप्त किया जायेगा तथा इसके साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा परिवेशी पा गुणवत्ता (Ambient Air Quality) के सुधार एवं monitoring से नगर निगमों को समुचित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नगर आयुक्त का यह दायित्व होगा कि यह Ministry of Environment, Forest and Climate (Change (MoEFCC) द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में वर्षवार (Year Wise) Annual average. concentration of PM10 and PM2.5 पर आधारित परिवेशी वायु गुणवत्ता (Ambient Air Quality) में. सुधार किये जाने के लक्ष्यों का निर्धारण कराने एवं उसके सापेक्ष Performance based outcomes सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्य करते हुए कृत कार्यवाही से निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय को अवगत करायें।

Ministry of Environment Forest and Climate Change (MoEF&CC) शीघ्र ही इस संबंध मे बेंचमार्क प्रकाशित करेगी। Ambient Air Quality के सुधार की दिशा में Million Plus Cities (10 लाख मे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों) के द्वारा यदि निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त नहीं की गयी तो उनके शहर के लिए स्वीकृत अवशेष धनराशि 15 वित्त आयोग को दिशा-निर्देश के अनुसार अन्य नगरीय निकायों को दे दी जायेगी।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपरोक्त विषयगत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपने OM/ परिपत्र 0-1601725/2020 - CPA दिनांक 22022021 के द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए है, जिसके अनुसार परफार्मेस इवैल्यूएशन 2020-21 हेतु किया जायेगा।

3 (11). जल संरक्षण, आपूर्ति एवं प्रबन्धन में सुधार (Improving Conservation, Supply and Management of Water) तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट (Efficient Solid Waste Management) हेतु-

नोडल मंत्रालय के रूप में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के द्वारा 150 दि आयोग की संस्तुतियो के क्रम में नगर निगमवार (City Wise) एवं वर्षचार (Year Wise) वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जायेंग उक्त मद में अवमुक्त धनराशि तदनुसार उपरोक्त विषयगत निर्धारित लक्ष्या की प्राप्ति हेतु क्रियान्वित किये जाने वाले प्रोजेक्ट / कार्यों के लिये शास्त Tied Grant के रूप में निकायों द्वारा उपयोग किया जायेगा।

3 (111) परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट

उक्तानुसार वायु गुणवत्ता सुधार (Air Quality Improvement), जल संरक्षण आपूर्ति एवं प्रबन्धन में सुधार (Improving Conservation, Supply and Management of Water including Rainwater Harvesting & Waste Water Recycling) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (Solid Waste Management Efficient Solid Waste Management measures) गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग (Garbage Free Star Rating) के संदर्भ में निर्धारित | Performance based outcomes सुनिश्चित किये जाने के लिये नगर आयुक्त द्वारा यथा आवश्यक परियोजनाओं का या ऑफ प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा।

3 (IV). शेल्फ ऑफ प्रोजेक्टस में वरीयता :-

परियोजनाओं के चयन किये जाने में यह विशेष ध्यान रखा जायेगा कि यदि निकाय में किसी भी केन्द्रीय सहायतित योजना (Centrally Sponsored Scheme) जैसे अमृत / स्वच्छ भारत मिशन (नगरी), आदि से सम्बधित किसी परियोजना / कार्य में कोई ऐसा कार्य / परियोजना स्वीकृत हो क्रियान्वित हो रहा हो, जिसकी प्रकृति Tied Grant में वर्णित कार्यों के अनुरूप है एवं उपर्युक्त हेतु निकायाशाति है तो उपर्युक्त उपलब्ध Tied Grant से तदनुसार सम्बन्धित केन्द्रीय योजनाओं अन्तर्गत निकाय में स्वीकृत उक्त कार्य/परियोजनाओं के निकायांश का वहन प्राथमिकता पर किया जायेगा।

3 (V), 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिये Tied Grant क्लेम करने के लिए मार्किंग स्कीम (Marking Scheme)-

15वें वित्त आयोग के अनुदान को क्लेम करने के लिये कतिपय अनिवार्य शर्त निर्धारित की गई है Tied Grant हेतु 15वें वित्त आयोग ने भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक निकायवार (City Wise) एक वर्षवार (Year Wise) लक्ष्य निर्धारित करने एवं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष तैयार किये गये मार्किंग स्कीम (Marking Scheme) के अनुसार उपलब्धि अर्जित करने की दशा में ही ग्रांट अवमुक्त करने को अनिवार्य किया गया है। इस विषय में विस्तृत विवरण Arinexure 1 (संलग्नक के हिन्दी अनुवाद) पर दृष्टव्य है, जिसके अनुसार निकायों द्वारा एक्शन प्लान बनाते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी।

4. Non Million Plus Cities (10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों) के संबंध में मुख्य बिन्दु-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4(1) मिलियन प्लस शहरों के अतिरिक्त अन्य नगरीय निकायों / कॅण्टोनमेन्ट बोर्ड को स्वीकृत 50% धनराशि बेसिक ग्रान्ट (Untied Grant) के रूप में अवमुक्त की जायेगी व अवशेष 50% धनराशि निर्दिष्ट अनुदान Tied Grant के रूप में अवमुक्त की जायेगी बेसिक ग्रान्ट (Untied Grant) स्थानीय आवश्यक्ताओं के अनुरूप (वेतन एवं अधिष्ठान संबंधित व्यय को छोड़कर) व्यय की जा सकेगी जबकि Tied Grant निम्नलिखित मदों पर 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के संलग्नक 560 में दिये गये parameters के अनुसार व्यय की जा सकेंगी, जिसमे मुख्यतः निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे -

• पेयजल में सुधार (Improving Water including Rainwater Harvesting & Waste Water Recycling)

• सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (Solid Waste Management)

4 (11) परियोजनाओं का चयन व प्राथमिकता - 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगरीय स्थानीय निकायों को निर्गत अनुदान का उपभोग किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत ऑपरेशनल गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत उपयुक्त परियोजनाओं के चयन एवं उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निकाय द्वारा क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजनाओं के चयन किये जाने में यह विशेष ध्यान रखा जायेगा कि यदि निकाय क्षेत्र में किसी केन्द्रीय सहायतित योजना (Centrally Sponsored Scheme) जैसे अमृत / स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) आदि से सम्बन्धित किसी परियोजना / कार्य में कोई ऐसा कार्य / परियोजना स्वीकृत हो कियान्दित हो रही हो, जिसकी प्रकृति Tied Grant में वर्णित कार्यों के अनुरूप है एवं उपर्युक्त हेतु निकायाश बाधित है तो उपर्युक्त उपलब्ध Tied Grant से तदनुसार सम्बन्धित केन्द्रीय योजनाओं अन्तर्गत स्वीकृत कार्य / परियोजनाओं के निकायांश का वहन प्राथमिकता पर किया जायेगा।

निकायों को अवमुक्त की जा रही Untied Grant के विषयगत भी उपरोक्तानुसार निकाय में क्रियान्धित केन्द्रीय योजनाओं हेतु वांछित निकायाश सर्वोच्च प्राथमिकता पर निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्तनुसार निकाय में क्रियान्वित हो रही किसी केन्द्रीय योजना हेतु वांछित निकायाश की आवश्यकता न होने पर तदनुसार अग्रेतर निकाय द्वारा अन्य परियोजनाओं पर मार्गदर्शिका के अनुरूप जारी निर्देशों के अनुक्रम में अनुमन्य कार्यों हेतु कार्यवाही की जा सकेंगी।

4 (111) पेयजल में सुधार तथा सॉलिड वेस्ट के विषयगत Tied Grant :-यदि किसी नगरीय निकाय का द्वारा उक्त दोनों श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी में पूर्णरूप से सता (Saturation) प्राप्त कर ली गयी हो तो यह उपलब्ध Tied Grant अन्य श्रेणी में व्यय कर सकेंगे। Tied Grant की आगामी किस्तें निकाय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त की गयी उपलब्धि के आकलन एवं विश्लेषण के भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संस्तुति के पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।

4(IV), 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिये Tied Grant क्लेम करने के लिए मार्किंग स्कीम (Marking Scheme)-

15 वित्त आयोग के अनुदान को कम करने के लिये कतिपय अनिवार्य शर्त निर्धारित की गई है Tied Grantहेतु 15 वित्त आयोग ने भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक निकायवार (City Wise) एवं वर्षवार (Year Wise) लक्ष्य निर्धारित करने एवं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष तैयार किये गये मार्निंग स्कीम (Marking Scheme) के अनुसार उपलब्धि अर्जित करने की दशा में ही ग्राट अवमुक्त करने को अनिवार्य किया गया है। इस विषय में विस्तृत विवरण Annexure (संलग्नक के हिन्दी अनुवाद) पर दृष्टव्य है, जिसके अनुसार निकायों द्वारा एक्शन प्लान बनाते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी।

5. परियोजनाओं की स्वीकृति व क्रियान्वयन :-

5(i) चयनित परियोजनाओं के विषयगत अनुमोदन / स्वीकृति हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम ने उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कार्यों की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के विषयगत समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5(ii) 15 वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगरीय स्थानीय निकायों को निर्गत अनुदान का उपभोग किये जाने के सम्बनध में भारत सरकार द्वारा निर्गत ऑपरेशनल गाइडलाइन मे दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में Tied Grant के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्तर्गत उपयुक्त परियोजनाओं के चयन एवं उसके क्रियान्वयन को तदनुसार सुनिश्चित किया जायेगा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान समय-समय पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की Monitoring (अनुश्रवण एवं समीक्षा की जायेगी साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त Tied Grant की धनराशि उन्हीं मंदी में व्यय की जाए, जिनसे निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि अर्जित हो सके Tied Grantकी आगामी किश्त Million Plus नगर निगमों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त की गयी उपलब्धि के आकलन एवं विश्लेषण के पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।

5 (iii) स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा 15 वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि के उपभोग के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट [Million Plus नगर निगमों से प्राप्त की जायेगी तथा भारत सरकार के संबंधित मोडल मंत्रालयों को प्रेषित की जायेगी जिसमे इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा की यह धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की गयी है जिनसे निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि अर्जित की गयी है। Million Plus नगर निगमों द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्राप्त Tied Grant अंतर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता (Ambient Air Quality) में सुधार, जल संरक्षण, आपूर्ति व प्रबन्धन में सुधार एवं सॉलिड वेस्ट मैनजमेंट के जिन मदों पर धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित किया जाये उसकी सूचना निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5 (iv). Non Million Plus नगरीय निकायों द्वारा 15वें वित्त आयोग में प्राप्त Tied Grant के अंतर्गत पेयजल में सुधार (Improving Water including Rainwater Harvesting & Waste Water Recycling) एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (Solid Waste Management) के जिन मदों पर धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित किया जाये उसकी सूचना निर्देशक, नगरीय निकाय निदेशालय 3000 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र : राज्य स्तर पर नगर विकास विभाग के निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 तथा भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा 15 वित्त आयोग की अवशेष संस्तुतियों पर किये गये अनुपालन की मॉनीटरिंग समय-समय पर की जायेगी।

7. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतिया के कम न Million Plus Cities Non Milion Plus Cities हेतु अवमुक्त Grant (अनुदान) की धनराशि का उपभोग उपर्युक्त दिशा-निर्देशो (Operational Guideline) के क्रम में सुनिश्चित कराते हुए शासन / निदेशालय को तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्क-यथोक्त।

भवदीय

(रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-3 / नौ-9-2021-21ज / 21 एवं दिनांक तदैव ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन
2. प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. राज्य मिशन निदेशक (अमृत एवं स्वच्छ भारत मिशन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ। 5 सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभूति खण्ड उ0प्र0 लखनऊ।
5. सहायक वेबमास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Annexure-II

Marking Scheme for claiming Tied Grant under 15 Finance Commission for the period 2021-22 to 2025-26

15th Finance Commission (15th FC) in its report for the year 2020-21 has divided the grants Into untied and tied to water supply and solid waste management. It has prescribed certain mandatory conditions for claiming the FC grants.

For tied grants, 15th FC has mandated Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) to develop city-wise and year-wise targets, in consultation with the State Governments, for 2020-25 and recommend disbursal of grants. Accordingly this marking scheme has been prepared. States will intimate baseline indicators and yearly targets against Water supply and waste water management. Targets against 'Solid waste management have already been fixed by MOHUA 1.

Mandatory Conditions:

Table:1

S.No.	FY 2021-22	
1	Audited accounts published for all ULBs on State/ULB website for the year before the preceding year w.rt the award year	Yes/No
2	Property tax floor rate notified	Yes/No
FY 2022-23 and onwards		
3	Increase in Property Tax collection over previous year in tandem with the State GSDP	Yes/No
	Increase in property tax collection over previous year (in %)	
	Increase in Property tax collection with the State GSDP	

Illustration: For ULB to become eligible for 2021-22 grants, audited accounts of year 2019-20 should be published.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. Service Level Indicators and Targets:

Performance of the cities will be assessed with respect to the target. ULB wise Information asked in this marking scheme shall be uploaded on City Finance Portal (https://cityfinancein) by 31 December 2020 by the State after approval from Principal Secretary/Secretary (UD). The relevant fields on the portal shall be operational by 30 October, 2020.

(1) Million Plus and Other than Million Plus cities

Table:2

1. Water Supply and Waste Water						
Service Level Indicator	**Service Level Indicator**	**Base line Indicator**	**Target**			
1.1 Households covered with piped water supply	100%	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
			Achieved Yes/No	Achieved Yes/No	Achieved Yes/No	Achieved Yes/No.
1.2 water Supplied in litre per capita per day (lpcd)	135					
			Achieved Yes/No.	Achieved Yes/No.	Achieved Yes/No.	Achieved Yes/No.
1.3 Reduction in Non- Revenue Water (NRW)	20%					
			Achieved Yes/No.	Achieved Yes/No.	Achieved Yes/No.	Achieved Yes/No.
1.4 household covered with sewerage / Septage services	100%					
			Achieved Yes/No.	Achieved Yes/No.	Achieved Yes/No.	Achieved Yes/No.
1.5 Recycling /resue of water	ULB/ city will select at least one project for recycling/ reuse of water by reuse of water by August. 2021 for being eligible for second Instalment of tied grant for the year 2021-22 City will implement this/these project/s by the year 2023-24 for being eligible for tied grants for the year 2024-25 and onwards.					
1.6 Rejuvenation Of Water Bodies	ULB/ city will select at least one project for rejuvenation of water bodies by August, 2021 for being eligible for second instaliment of tied grant for the year 2021-22. City will implement this/ these project/s by the year 2023-24 for being eligible for tied grants for the year 2024-25 and onwards. In case the city does not have any water body, it will select one community based Rain Water Harvesting project.					

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

#Non-Revenue Water (NRW): Water produced which does not earn the utility any revenue. NRW (5%) = [(Total water produced (ex-treatment plant) - Total water sold)/ Total water produced (ex-treatment plant)]*100.

Components of NRW: a) Consumption which is authorized but not billed, such as public stand posts; b) Apparent losses such as illegal water connections, water theft and metering inaccuracies; c) Real losses such as leakages In the transmission and distribution networks. @ULB shall prepare a waste water management plan having detalls of total sewage generated in the ULB and plan for treatment/safe disposal of the same. City will share waste water management plan with MOHUA along with the claim for second Instalment of tied grant for the year 2021- 22.10% weightage of this parameter will be allocated to ODF++ certification.

Table:3

2. Solid Waste Management									
2.1 Garbage free Star Rating of the cities	**2020-21**	**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
	Cities complete the gao analysis and identify the project for bridging the gap The report will be uploaded on City Finance Portal	Target	Score	Target	Score	Target	Score	Target	Score
		3 Star	100%	5 Star	100%	5 Star	100%	7 Star	100%
		1 Star	100%	3 Star	100%	3 Star	100%	3 Star	100%
		No Star	70%	1 Star	80 %	1 Star	60%	1 Star	100%
				No Star	60%	No Star	50%	No Star	40%
2.2 Coverage of water supply for puvblic/Community Toilet	Cities complete the gao analysis and identify the project for bridging the gap The report will be uploaded on City Finance Portal	ODF+	100%	ODF+	100%	ODF+	100%	ODF+	100%
		ODF+	80%	ODF+	80%	ODF+	100%	ODF+	80%

(i) Million Plus cities

In addition to the criterion mentioned in table 1,2 and 3, Million Plus cities shall be required to submit the documents mentioned in table-3 by 31 December, 2020 for claiming the grants for the year 2021-22 and onwards:

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Table:4 S.No.

S.No	Documents
1	City plan/DPR including year wise targets for 2020-26 to be prepared by each city in consultation with respective States.
2	Water balance plan
3	Service Level Improvement Plans (SLIPS), with reference to baseline year 2020-21 for water supply including universal coverage, water security by means of water conservation, recovery of user charges, decrease in non-revenue water, and reuse of treated water.
4	Solid Waste Management, the cities shall prepare a plan for environmentally sustainable 100% collection with segregation and recycling of solid waste to achieve garbage free cities.

3. Timeline for various activities

Table: 5

S.No	Activities	Timeline
1	States to send claim for tied grant after evaluation of By 15 May and S performance of ULBS and due verification to MOHUA along with September of Utilization Certificate of the previous tied grants received	By 15 May and 15 September of each award year
2	MOHUA shall recommend grants for the eligible States to Ministry of Finance for release of tied grants to States.	By 7 June and 7 October Ministry of Finance for release
3	i. The States shall transfer grants-in-aid to the local bodies within ten working days of receipt from the Union Government. Any delay beyond ten working days will require the State Governments to release the same with Interest as per the effective rate of interest on market borrowings/State Development Loans (SDL) for the previous year	Within 10 working days of receiving the grants

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. Score distribution:

In order to arrive at a qualifying mechanism, cities will be assessed as per following score distribution:

Table:6

	Indicator	Maximum Marks
1	**Water Supply and waste water management**	
1.1	Households covered with piped water supply	20
1.2	Water supplied in liters per capita a day (lpcd)	5
1.3	Reduction in non-revenue water (NRW)	5
1.4	Household covered with sewerage/ septage services	10
1.5	Recycling/reuse of water	10
1.6	Rejuvenation of water bodies	10
2	Solid Waste Management	
2.1	Garbage free star rating of the cities	30
2.2	Coverage of water supply for public/community toilets	10

5. Allocation of tied grants vis-à-vis score obtained

(i) Mainland States:

Marks Obtained	**<40**	**≥ 40 and ≤ 60**	**≥ 60 and ≤ 75**	**≥ 75 and ≤ 90**	**≥ 90**
Recommended tied grant	**0%**	**60%**	**75%**	**90%**	**100%**

(ii) North East and Hill States:

Marks Obtained	**<30**	**≥ 30 and ≤ 50**	**≥ 50 and ≤ 65**	**≥ 65 and ≤ 80**	**≥ 80**
Recommended tied grant	**0%**	**60%**	**75%**	**90%**	**100%**

Tied grant will be released to ULBS based on their cumulative score with respect to progress against the target indicators mentioned above. Total undistributed grants due to insufficient score will be distributed by the State among the ULBS with more than 60 marks (main land States)/ 50 marks (North East and Hill States) In proportion to the share of their grants. In case some of the cities are not able to score minimum marks Le. 40 in case of Maloland States and 30 In case of North East and Hill States, State shall constitute a "Remedial Action Committee" under the chairmanship of Principal Secretary/ Secretary (UD) to evaluate the reasons for lower achievements and to chalk out the plan for improvement. State shall subunit the report along with claim for next instalment of tied grants.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Note:

(i) Grants for 2021-22 will be released on submission of Baseline data, targets and other information as per Sl. No. 2 (i.e. Service Level Indicators and Targets) of this scheme on City Finance Portal

(ii) Grants for the year of 2022-23 and onwards shall be released on achievement of the targets for previous year. States will submit the required information on City Finance Portal along with clain for 1 instalment of tied grant for that year.

(iii) Improvement in service level indicators will be measured against the yearly target which shall be verified at the State and ULB level.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।